an>

Title: Regarding Zone 'O' under DDA Master Plan, 2021 of Delhi.

**श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) :** महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजधानी में डीडीए मास्टर प्लान 2021 के तहत जोन ओ में पड़ने वाला जो क्षेत्र है, वहां मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है, लेकिन वहां 2007 में डीडीए के मास्टर प्लान की वजह से इस मास्टर प्लान के तहत राजधानी दिल्ली को 15 प्लानिंग जोनों में बांटा गया था, जिसमें अर्बन दिल्ली को आठ जोन में (ए से एच), अर्बन एक्सटेंशन एरिया को 6 जोनों में (जे से एन) तथा यमुना नदीं फ्रंट एरिया को जोन ओ में रखा गया है। जोन ओ क्षेत्र उस एरिया को कहा जाता है जो यमुना नदी के आसपास बसे हैं। जोन ओ में पड़ने वाले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण व मरम्मत का कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। इस जोन में लगभग दस से बारह गांवों की जमीन आती है, जिसमें सादतपुर, जगतपुर, हरिनगर, मीठापुर, जैतपुर, मदनपुर, सोनिया विहार इत्यादि प्रमुख हैं। 29 मार्च, 2006 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि नदी से 300 मीटर की दूरी तक निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए। परंतु जब डीडीए ने मास्टर प्लान बनाया तो उस सीमा को 6 किलोमीटर कर दिया। उस रेंज में रहने वाले जिन लोगों के मकान 2006 के मास्टर प्लान से पहले बने हुए हैं, वे गरीब लोग जब वहां मकान बनाते हैं या मकानों की रिपेयर करते हैं तो उन्हें रोका जाता है। वहां डिस्पेंसरी, स्कूल आदि की सुविधा भी सरकार वहां उपलब्ध नहीं करा पा रही है। जिसकी वजह से वहां के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इसके कारण वहां मरम्मत के कार्य पर भी रोक लगी है। अगर कोई मरम्मत करता है तो वहां के गरीब लोगों के द्वारा सरकारी अधिकारियों को वहां सुविधा शुल्क देना पड़ता है, वरना उनके काम रोके जायेगें। जबकि सरकार ने वहीं मदनपुर खादर में पुनर्वास के नाम से जगह दी हुई है, जहां सरकार ने निर्माण कराया है। वहीं नियमित कालोनी के मकान बने हैं, राष्ट्रमंडल खेल के नाम से खेलगांव बना हुआ है, दिल्ली सचिवालय बना हुआ है। वहां सरकार ऐसे महत्वपूर्ण भवन बना रही है, लेकिन जो हजार वर्षों पुराने गांव मीठापुर, जैतपुर, हरिनगर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो यमुना से एक-डेढ़ किलोमीटर दूर हैं, वहां के लोगों को ओ जोन के नाम पर तंग किया जा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से दिल्ली के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर, दिल्ली सरकार और यू.डी. मिनिस्ट्री से निवेदन है कि उस एरिया को, जो तीन सौ मीटर से बाहर है, उसे एच जोन में डाला जाए, ताकि वहां के लोगों का शोषण रुक सके और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।